

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 879

23 Kartik, 1938 (S) Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 201**7**

S.O. No. 133- Dated - 14th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act) and in supersession of notification S.O. No. 80- State Tax dated the 19th September, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 under sub-section (1) of section 37 of the Act for the months as specified in column (2) of the Table, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Months for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - October, 2017	31 st December, 2017
2	November, 2017	10 th January, 2018
3	December, 2017	10 th February, 2018
4	January, 2018	10 th March, 2018
5	February, 2018	10 th April, 2018
6	March, 2018	10 th May, 2018

- 2. The extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.
- 3. This notification shall be deemed to be effective from 15th November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 07/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal, Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना 14 नवम्बर, 2017

एस. ओ. - 133- दिनांक- 14 नवम्बर, 2017-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पिठत धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और झारखण्ड के राजपत्र, अधिसूचना एस. ओ. 80 - राज्य कर, तारीख 19 सितम्बर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, पिरषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल आवर्त रखने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा नीचे सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट मासों के लिए अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-01 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयाविध तक बढ़ाता है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	वे मास, जिनके लिए प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई-अक्तूबर, 2017	31 दिसम्बर, 2017
2	नवम्बर, 2017	10 जनवरी, 2018
3	दिसम्बर, 2017	10 फरवरी, 2018
4	जनवरी, 2018	10 मार्च, 2018
5	फरवरी, 2018	10 अप्रैल, 2018
6	मार्च, 2018	10 मई, 2018

- 2. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक के मासों के लिए, अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का विस्तार राजपत्र में तत्पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा।
- 3. यह अधिसूचना 15/11/2017 से प्रवृत्त होगी।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आय्क्त।
